

	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय	मानव संसाधन विभाग, औद्योगिक संबंध प्रभाग
शाखा परिपत्र संख्या. : 120/ <u>97</u>		विषय: मानव संसाधन/ 2026-27/
उप-विषय: अवार्ड स्टाफ सदस्यों (स्वयं और परिवार के सदस्यों) के लिए अनुग्रह चिकित्सा सहायता		
संदर्भ : एचओ:एचआर:आईआर:एम:30		दिनांक : 02.09.2026

**अवार्ड स्टाफ सदस्यों (स्वयं और परिवार के सदस्यों) को
अस्पताल में भर्ती होने पर पात्रता अनुसार वित्तीय सहायता
प्रदान करने हेतु अनुग्रह चिकित्सा सहायता
- स्वयं के लिए लाभ में वृद्धि**

अवार्ड स्टाफ (स्वयं और परिवार के सदस्यों) को अस्पताल में भर्ती होने पर पात्रता अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुग्रह चिकित्सा सहायता से संबंधित प्रावधान बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन हैं, जिसमें आं.का.ज्ञा संख्या: एचओ:एचआर:आईआर:एसडी:1-545 दिनांक 22.03.2016 और आं.का.ज्ञा संख्या: एचओ:एचआर:आईआर:एसडी:1-39 दिनांक 27.04.2016 शामिल हैं। चिकित्सा बीमा योजना का सार और उसमें निहित बैंक-स्तरीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रावधानों को बाद में शाखा परिपत्र संख्या 114/218 दिनांक 18.01.2021 द्वारा दोहराया गया था।

2. इसके बाद, दावों के प्रसंस्करण और निपटान में एकरूपता और स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, बैंक ने आईओएम परिपत्र संख्या 2026-27/31 दिनांक 22.04.2026 जारी किया, जिसमें अवार्ड स्टाफ (स्वयं और परिवार के सदस्यों) हेतु अनुग्रह चिकित्सा सहायता को अभिशासित करने वाले मौजूदा प्रावधानों को स्पष्ट किया गया।

3. हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बोर्ड ने दिनांक 14.08.2026 को आयोजित बैठक में, अस्पताल में भर्ती होने पर पात्रता अनुसार वित्तीय सहायता के लिए अवार्ड स्टाफ सदस्यों (स्वयं) से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में निम्नलिखित आशोधनों को अनुमोदित किया है:

क्र. सं.	अवार्ड स्टाफ (स्वयं एवं परिवार के सदस्यों) हेतु अनुग्रह राशि का मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित आशोधन
1	बैंक, बीमा कंपनी द्वारा बफर सहित तय की गई राशि के बाद शेष दावा राशि के 70% सीमा तक अनुग्रह राशि के भुगतान अवार्ड स्टाफ और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।	बैंक, बीमा कंपनी द्वारा बफर सहित तय की गई राशि के बाद शेष, स्वयं (अवार्ड स्टाफ) हेतु दावा राशि के 90% और परिवार (अवार्ड स्टाफ) हेतु दावा राशि के 70% की सीमा तक अवार्ड स्टाफ और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने पर विचार किया जा सकता है। बशर्ते कि समूह चिकित्सा बीमा योजना, कॉरपोरेट बफर, अनुग्रह राशि तथा अन्य स्वीकार्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत संकलित प्रतिपूर्ति राशि कुल दावा राशि के 90% से अधिक न हो।



Classification: Internal

4. प्रस्तावित आशोधन बोर्ड के अनुमोदन तिथि, अर्थात् दिनांक 14.08.2026 से प्रभावी होगा। तदनुसार, ऐसे अनुमोदन की तिथि को या उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित सभी अस्पताल में भर्ती होने के दावे आशोधित योजना के अधीन हैं। अवार्ड स्टाफ (स्वयं और परिवार के सदस्यों) को अस्पताल में भर्ती होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुग्रहपूर्वक चिकित्सा सहायता को नियंत्रित करने वाले अन्य सभी निबंधन, शर्तें और तौर-तरीके आईओएम परिपत्र संख्या 2026-27/31 दिनांक 22.04.2026 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

5. कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तुओं को अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों के संज्ञान में लाएं।



2019/2
(रणवीर सिंह)
महाप्रबधक (मानव संसाधन)

	Bank of India Head Office	Human Resources Department, Industrial Relations Division.
Branch Circular No. : 120/ <u>97</u>		Sub: Human Resources/ 2026-27/
Sub-Subject : Ex-gratia Medical Aid for Award Staff (Self and Family Members)		
Ref : HO:HR:IR:AM:30		Date : 02.09.2026

Ex-gratia Medical Aid for Award Staff (Self and Family Members) for providing financial assistance towards eligible hospitalization expenses

- Enhancement of benefit for self

The provisions relating to Ex-gratia Medical Aid for Award Staff (Self and Family Members) for providing financial assistance towards eligible hospitalization expenses have been governed by instructions issued by the Bank from time to time, including IOM No.HO:HR:IR:SD:1-545 dated 22.03.2016 and IOM No. HO:HR:IR:SD:I-39 dated 27.04.2016. The gist of the Medical Insurance Scheme along with the Bank-level medical reimbursement provisions contained therein was subsequently reiterated vide Branch Circular No. 114/218 dated 18.01.2021.

2. Subsequently, with a view to bringing uniformity and clarity in the processing and settlement of claims, the Bank issued IOM Circular No. 2026-27/31 dated 22.04.2026, clarifying the existing provisions governing Ex-gratia Medical Aid for Award Staff (Self and Family Members).

3. We are pleased to inform that the Board in the meeting held on 14.08.2026 has approved the following modifications to the existing provisions relating to Ex-gratia Medical Aid in respect of Award Staff (Self) towards financial assistance for eligible hospitalisation expenses:

S. No.	Existing Provision of ex-gratia for Award Staff (self & family members)	Proposed Modification
1	The Bank may consider the payment of Ex-gratia amount to the extent of 70% of the claim amount remaining after the amount settled by the Insurance Company, including buffer, to the Award Staff and their dependent family members.	The Bank may consider the payment of Ex-gratia amount to the extent of 90% of the claim amount for self (Award Staff) and 70% of claim amount for Family (Award Staff) remaining after the amount settled by the Insurance Company, including buffer, to the Award Staff and their dependent family members. Provided that aggregate reimbursement amount under Group Medical Insurance Scheme, corporate buffer, ex-gratia and other admissible medical reimbursement shall not exceed 90% of the total claim amount.

Classification: Internal



4. The proposed modification shall be made effective from **the date of approval of Board i.e. 14.08.2026**. Accordingly, all hospitalization claims pertaining to admissions on or after the date of such approval shall be governed by the modified scheme. All other terms, conditions and modalities governing Ex-gratia Medical Aid for Award Staff (Self and Family Members) for providing financial assistance towards eligible hospitalization expenses, shall continue to be regulated in accordance with clarification issued vide IOM Circular No. 2026-27/31 dated 22.04.2026.

5. Please bring the contents of this circular to the notice of all staff members working in branches/offices under your jurisdiction.


(Ranvir Singh)
General Manager (HR)

